कार्यालय प्रधानमुख्य वनसंरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
(कक्ष–ग्रीन इण्डिया मिशन)

ई–मेल: apccfgim@mp.gov.in फोन नं. 0755–2524305

क्रमांक / ग्री.इ.मि. / 2018 / 593 भोपाल, दिनांक 11/12/18

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय)
वन वृत्त भोपाल, इन्दौर, खण्डवा, सागर, छतरपुर,
शिवपुरी, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, बालाघाट,
होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल मध्यप्रदेश

वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
सतना, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सिवनी, पश्चिम बैतूल,
होशंगाबाद, सीहोर, उत्तर बैतूल, औबेदुल्लागंज, रायसेन,
धार, झाबुआ, बड़वानी, सेंधवा, दक्षिण सागर, दक्षिण पन्ना,
श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया।

विषयः– **ग्रीन इंडिया मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु एफ.डी.ए. का संचालन / सुदृढ़ीकरण हेतु सामान्य निर्देशिका।**

संदर्भः–

––00––

ग्रीन इंडिया मिशन एवं इकोसिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के कार्यो का क्रियान्वयन एफडीए के माध्यम से किये जाने का संदेश है। इन प्रोजेक्ट के सफलता के लिये एफडीए को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु मार्गदर्शिका / निर्देशिका निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है :–

(i) एफडीए का सुदृढ़ीकरण

1. एफडीए के पंजीयन एवं उपनियम की सत्यापित छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जावे। इसी प्रकार बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति भी प्रेषित करें।
2. एफडीए के कार्यकारी समिति एवं सदस्यों की सूची भी इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे। उप नियम के प्रावधान अनुसार बैठक बुलाई जावे एवं वार्षिक कार्य आयोजना का अनुमोदन किया जावे।
3. एफडीए के सदस्यों को ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियान्वयन में एफडीए की भूमिका एवं लेखा संधारण के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जावे।
4. प्रत्येक एफडीए का खाता टैली सॉफ्टवेयर डबल एन्ट्री (दोहरा लेखा प्रणाली) के माध्यम से संधारित किया जावे। इसी आधार पर प्रतिमाह का लेखा मुख्यालय को प्रस्तुत किया जावे। प्रत्येक व्यय वित्तीय वर्ष के जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के त्रैमासों मे उपलब्ध राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5. भारत सरकार के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्रीय समितियों द्वारा कार्य कराए जावेंगे। अतः ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति एवं इको विकास समितियों को लेखा/अभिलेख संधारित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जावें।
6. यह सुनिश्चित किया जावे कि ग्रीन इंडिया मिशन व इकोसिस्टम सर्विसिस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट परियोजना के अवधारणा के अनुरूप समस्त घटकों का क्रियान्वयन संबंधित एफ.डी.ए. के माध्यम से ही किया जाना है।

(ii) क्षेत्र चयन एवं तैयारी

1. प्रत्येक वनमण्डल में 1 अथवा 2 मिलीवाटर शेड का चयन किया जावे जो कि ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चयनित मिलीवाटर शेडो में शामिल हो। चयनित मिलीवाटर शेडों की सम्पूर्ण माईक्रोप्लानिंग की जावे। माईक्रोप्लानिंग हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था "Strengthening of local-level institutions" में उपलब्ध है।

   चयनित मिलीवाटर शेड में वर्ष 2018–19 में प्रावधानित APO अनुसार Sub-mission (घटक) के अनुरूप कार्य प्रस्तावित किये जावें। Submission 1 (a) "Moderately dense forest showing degradation" में पुनरूत्पादन सर्वेक्षण (regeneration survey) अनिवार्य रूप से कराया जावे। जिन प्रजातियों का पुनरूत्पादन प्राप्त हो रहा है उनको बढ़ाने का प्रयास किया जावे। ऐसा कोई उपचार न करें जिससे प्राकृतिक पुनरूत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

2. उपचार हेतु चयनित क्षेत्रों का जीपीएस लोकेशन एवं केएमएल फाईल तैयार कर प्रस्तुत की जावें।

(iii) माइक्रोप्लानिंग

1. प्रत्येक माइक्रोवाटर शेड हेतु सूक्ष्म प्रबंधन योजना (Mircoplan)ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी आवश्यकतानुसार प्राथमिकता पर कार्यो को लिया जावे। ग्रामीणों से यथा संभव Participatory Rural Apprisal (PRA) अथवा Rapid Rural Apprisal (RRA) के माध्यम से उनकी प्राथमिकता का पता लगाया जावे।
2. राज्य योजना आयोग में स्थित पीपीएसयू (पॉलिसी प्लानिंग व सपोर्ट यूनिट) द्वारा मूलभूत तैयारी, माइक्रोप्लानिंग, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण इत्यादि में सहयोग प्रस्तावित किया है (संलग्न प्रति)। कृपया उनकी क्षमताओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना सुनिश्चित करें इसके साथ साथ वन कर्मचारियों व स्थानीय संस्थाओं के क्षमता विकास में उनके द्वारा सहयोग किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) अनुसंधान कार्य

1. ग्रीन इंडिया मिशन के तहत रिसर्च हेतु प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रावधानित कार्य आवश्यक रूप से किये जावेंगे।
2. स्थानीय/निकटस्थ शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध विशेषज्ञों की सहायता से क्षेत्र के फ्लोरा–फॉना एवं बायोडाईवर्सिटी का अध्ययन कराया जाकर दस्तावेजी कराया जावेगा।
3. उपचार हेतु लिए गये क्षेत्र का Soil Profile तैयार किया जावेगा, जिसमें प्रति 50 हेक्ट. उपचारित क्षेत्र पर न्यूनतम 10 सैंपल एकत्र किये जावेंगे एवं स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रो से Soil testing रिपोर्ट तैयार किया जावेगा। प्रत्येक Soil Sample को एकत्र करते समय स्थल का GPS location लिया जावेगा।

Soil test की रिपोर्ट के आधार पर उन अवयवों की पहचान की जावेगी जिनकी उस मृदा में कमी है तथा उन कमी को दूर करने की व्यवस्था प्रोजेक्ट में की जावेगी।

4. कार्य आयोजना में दिए गये निर्देशों के अनुसार पुनरूत्पादन सर्वेक्षण का कार्य किया जावेगा।
5. आई.आई.एफ.एम. भोपाल द्वारा उपचारित क्षेत्रों में हाइड्रोलोजिकल मापन हेतु रिसर्च प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका क्रियान्वयन क्षेत्रीय अधिकारियों की सहायता से किया जाना है।

(v) पौधों की प्रजातियों का चयन व उचित गुणवत्ता के पौधें प्राप्त करने की व्यवस्था।

1 प्रत्येक स्थल के लिये कौन सी नर्सरी से किस–किस प्रजाति के पौधे रोपित होंगे। अनुसंधान एवं विस्तार के नर्सरी में पौधों को चिन्हित कर लिया जावे।

2 वृक्षारोपण प्रभारी उचित गुणवत्ता की पौध नर्सरी से प्राप्त कर उसका परिवहन निर्धारित समय पर रोपण स्थल तक करने का जबावदारी होगी।

(vi) आजीविका के साधन का विकास संबंधी कार्य

1. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पदाधिकारियों के नाम एवं दूरभाष प्रत्येक वनमण्डलों को पूर्व में उपलब्ध करा दिए गये हैं, उनसे जीवन्त संपर्क बनाए रखे।
2. परियोजना क्षेत्र में आ रहे ग्राम का सामाजिक आर्थिक एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट (वर्ष 2011) प्राप्त करें उसके आधार पर हितग्राहियों का चयन सुनिश्चित किया जावेगा।
3. आजीविका संसाधन के लिए ऐसे कार्यक्रमों को विकसित किया जावे।
   - जो क्षेत्र में उपलब्ध लघु वनोपज पर आधारित हों।
   - जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाए जा रहे हो।
4. नए उपयोगकर्ता समूह/स्व–सहायता समूह बनाने के स्थान पर पूर्व में राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन द्वारा गठित/पंजीकृत समूहों को प्राथमिकता दिया जावे। ऐसी गतिविधियों को चयनित करने का प्रयास किया जाता जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वनों पर आश्रित कम हों।

(vii) कृषि एवं कृषि वानिकी संबंधी कार्य

1. किसानों की पड़त भूमि पर मेडबंधी कराकर उन्हें खेती योग्य बनाने का प्रयास किया जावे।
2. मेड़ो पर/पड़त भूमि पर स्थानीय समुदाय के उपयोग में आने वाले पौधों का रोपण किया जावे।
3. यथासम्भव रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जायेगा, इनके स्थान पर जैविक खाद/नीमखली का प्रयोग किया जायेगा।

रोपण में निम्न प्रजातियों को प्राथमिकता दी जावेगी :–महुआ, हर्रा, बहेड़ा, सीताफल, कटहल, अमरूद, बाँस, नींबू, मैदा छाल, मुनगा आदि।

(viii) सड़क किनारे वृक्षारोपण (Road /Side Plantation)

- क्षेत्र उपलब्धता के आधार पर रोड के दोनों तरफ 3 लाइन में रोपण किया जावेगा।
- सड़क के किनारे प्रथम पंक्ति Row से 3 मीटर छोड़कर फेंसिंग की जावे। फेंसिंग से एक–एक मीटर छोड़ कर पहली लाईन में 10–10 मीटर के अन्तराल पर छोटे छत्र वाले पौधे जैसे चिरौल, शीशम, नीम, कैथा, बॉस, करंज आदि पौधे लगाये जायेंगे।

- पहली से दूसरी लाईन के बीच 3 मीटर की दूरी पर 10–10 मीटर के अन्तराल पर पहली लाईन से बड़े छत्र वाले पौधे जैसे खम्हार, हर्रा, बहैड़ा, सागौन आदि पौधे लगाये जायेंगे।
- दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के बीच 3 मीटर के अन्तराल पर 10–10 मीटर के अन्तराल पर पहली और दूसरी लाईन से बड़े छत्र वाले पौधे जैसे पीपल, महुआ, आम, बरगद आदि का रोपण किया जायेगा।
- बड़े पौधे के बीच में मध्यम ऊचाई के वृक्षों यथा खमैर, शीशम, खैर, ऑवला के बीजों का रोपण किया जायेगा ताकि पूरा क्षेत्र पौधों से भर जाये।
- सड़क, नहर, तालाब किनारे जैविक दबाव अधिक होने से इन क्षेत्रों का चैनलिंक से घेराव किया जावे।
- 100 पौधे को एक हेक्टेयर के समतुल्य माना जायेगा तद्नुसार परियोजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाये।
- इस संबंध में नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इण्डिया द्वारा जारी दिशा निर्देश का उपयोग किया जा सकता है।

(ix) अन्य विभाग के विकास योजनाओं का सम्मिलन (Convergence)

यथासम्भव अन्य विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यकलापों का सम्मिलन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ताकि परियोजना क्षेत्र का समग्र रूप से विकास किया जा सके।

शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्र में रोपण

1. ऐसे क्षेत्र का चयन किया जाएगा जो नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र अथवा उसके पास के क्षेत्र हो।
2. इस क्षेत्र का विकास इस प्रकार किया जाएगा ताकि आबादी क्षेत्र से थोड़ी दूर पर स्थानीय समुदाय के लोगों को स्वच्छ वायु एवं धूल रहित पर्यावरण प्राप्त हो सके।
3. इन स्थानों पर फलदार/छायादार/वन औषधियों के पौधों को रोपित किया जाकर पार्क के रूप में विकसित किया जावे। ताकि स्थानीय समुदाय के लोग यहां आकर प्रकृति के करीब होने की अनुभूति प्राप्त कर सके एवं प्राकृतिक संसाधनों से उनका लगाव हो सके।

माइनिंग क्षेत्र का भूमि सुधार

माइनिंग क्षेत्र के भूमि सुधार अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य किए जावेंगे :–

- माईनिंग क्षेत्र को लेवल (समतल) किया जावे।
- अधिक गहरे हिस्से को परकुलेशन टैंक के रूप में विकसित किया जावे।
- उथले हिस्से को लेवलिंग कर benching किया जावे। मेड़ बनाकर बीज/पौधा लगाने का कार्य भी किया जावेगा।

11/12/2018

(के.रमन)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(ग्रीन इण्डिया मिशन)
मध्य प्रदेश, भोपाल